मानवाधिकार के सामाजिक सन्दर्भ

डॉ0 प्रमिला वर्मा *

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण व्यक्ति की मूलभूत और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अति आवश्यक है। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति न की जाय तो मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। मानव को अभाव तथा भूख से मुक्ति दिलाना और उसके शारीरिक कष्ट को दूर करना ही उस समाज की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करके ही उसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है क्योंकि इन अधिकारों का मानवता के साथ एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध है जो उसकी मूल आवश्यकताओं को दर्शाती है। इसीलिए इन अधिकारों और आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित कर सकते है। यह मनुष्य का सकारात्मक अधिकार है। आज भी कई ऐसे राज्य है जो गरीबी के कारण अपने नागरिकों को सुनिश्चित अधिकार दे पाने में अक्षम है। इसीलिए संयुकत राष्ट्र और सामाजिक अनुच्छेद 55 मानव अधिकारों को अन्तर्राष्ट्री आर्थिक और सामाजिक सहकारिता के सांचे में इस प्रकार स्थापित करता है कि मानवीय अधिकारों की सुनिश्चिता को सामाजिक संदर्भो से अलग नहीं किया जा सकता।

सामाजिक अर्थो में मानवाधिकार एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्येक मनुष्य के जीने का स्वतंत्र अधिकार है, परन्तु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ, जिस समाज में वह रहता है, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। क्योंकि अधिकारों की सुनिश्चितता मनुष्य के कर्तव्य पर ही आधारित है। एक के अभाव में दूसरे का विकास अधूरा रहता है।

मानवाधिकार वे अधिकार है जो एक मानव को उसके मानव होने के कारण उसको प्राप्त होते है। ये वे अधिकार हैं जो मानव में मानव होने के नाते अर्न्तनिहित है। मानवाधिकार मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के अधिकारों का प्रत्येक मनुष्य बिना किसी भेदभाव के उपभोग करने के लिए अधिकार सम्पन्न होते हैं। मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार है जो उसकी गरिमा को बनाए रखने से सम्बन्धित है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका मौलिक स्वतंत्रताओं की संरक्षा एवं उसे प्राप्त करने के व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार मानवाधिकार कहे जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक अधिकार या मूल अधिकार या जन्मजात अधिकार भी कहते हैं। मानव अधिकारका अनुभव किया जा सकता है। इसकी परगणना की जा सकती है लेकिन इसे सीमित शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है।

मानव अधिकार के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि अधिकार क्या है? हैरोल्ड लास्की के अनुसार ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।'' मनुष्य के लिए जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान अपरिहार्य है वहीं उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी है जो मानव समाज के लिए आवश्यक है और इन्हीं आवश्यकताओं के साथ मानवाधिकार का अर्थ सम्मिलित हो जाता है। अतः मोटे तौर पर हम वे अधिकार कह सकते हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए, वे अधिकार जो उसमें मानव होने के नाते अर्न्तनिहित है।

* असि0 प्रोफेसर , दर्शनशास्त्र, महामाया राजकीय महाविद्यालय, धनूपुर, हण्डिया, इलाहाबाद

मानवाधिकार की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है। मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि की एक महानतम् उपलब्धि है। वियना में 1993 में आयोजित विश्व मानव अधिकार सम्मेलन (World Conference Human Rights) की घोषणा में कहा गया है कि सभी मानव अधिकार व्यक्ति में गरिमा और अर्न्तनिहित योग्यता से उद्‌भुत होते हैं और व्यक्ति मानव अधिकार तथा मूल्य स्वतंत्रताओं का केन्द्रिय विषय है। मानवाधिकार के इतिहास पर दृष्टि डाले तो द्वितीय विश्वयुद्ध के विध्वंस के परिणाम स्वरूप तब विकसित हुई जब सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि चूँकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षाओं के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यो के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए, अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकरों की रक्षा करना अनिवार्य है।

मानव अधिकारों के सार्वभौतिक घोषणा में मानव अधिकारों को विभिन्न कोटियों में नहीं बांटा गया है। साधारणतः भिन्न–भिन्न अनुच्छेदों में इनकी गणना की गयी है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत मानव मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है– (1) सिविल एवं राजनैतिक अधिकार (2) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।

सिविल एवं राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के कारण संरक्षण से सम्बन्धित होते हैं। यह सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होते हैं जिससे कि वे अपनी गरिमामय जीवन बिता सके। राजनैतिक अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को राज्य की सरकार में भागीदारी करने की स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार मत देने का अधिकार, सामयिक निर्वाचनों में निर्वाचित होने का अधिकार, राजनैतिक अधिकार के उदाहरण हैं।

आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के सम्बन्ध में मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे– पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर तथा भूख से स्वतंत्रता, काम के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार इस कोटि में आते हैं। इसे सामूहिक अधिकार भी कहते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व और उसके मध्य मानवाधिकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार के सम्बर्धन एवं सरंक्षण को प्रमुख उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर एक अन्तर्राष्ट्रीय बिल तैयार की और यह कार्य मानवाधिकार आयोग को सौंपा। मानवाधिकार का गठन 1946 में तथा प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ। इस अन्तर्राष्ट्रीय बिल को क्रमानुसार तीन प्रक्रमों में रखा गया–

(1) मानवाधिकार के लिए घोषणा पत्र जारी करना।

(2) राज्यों के बाध्य करने वाली प्रसंविदाओं को तैयार करना।

(3) अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय और तंत्र का निर्माण करना।

इस प्रकार मानवाधिकार बिल 10 दिसम्बर 1948 को पूरा हुआ। घोषणा एक विस्तृत एवं विषम दस्तावेज है जिसमें 30 अनुच्छेद हैं। जिसमें मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है। इस घोषणा पत्र को मानवता का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

दिसम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने का भारतीय संविधान की निर्माण पर भारी प्रभाव पड़ा। यद्यपि मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 10 जनवरी 1994 को इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। मानवाधिकार संरक्षण के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख

अधिनियम के अध्याय 11 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया गया है। इस आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति एक छह सदस्यीय समिति की संस्तुति पर करते हैं। इसके अन्तर्गत कुल छः सदस्य शामिल होते हैं– प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, सदस्य, लोकसभा के विपक्ष के नेता, सदस्य, राज्यसभा के उपाध्यक्ष–सदस्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार को सुझाव देगा। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत सरकार का एक साहसिक कदम है।

रूडोल्फ विस्ट्री के अनुसार, ''मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, अपनी उत्पत्ति और अर्न्तवस्तु की दृष्टि से नवीनता लिए हुये अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक ऐसा दस्तावेज है जो सम्प्रभु राज्यों की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति करती है।'' अनुच्छेद 30 के घोषणा में यह कहा गया है कि किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जायेगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कार्यकलाप या कोई कार्य करने का अधिकार विवक्षित है, जिसका लक्ष्य इसमें उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करता है।

इस प्रकार सारांशतः यह स्पष्ट होता है कि हमारे भारतीय ग्रन्थों जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र की जो कहानियां या उपदेश हैं वे सभी मानवाधिकार के ही तो प्रारूप हैं। पाश्चात्य देशों में भी इन अधिकारों का उल्लेख मिलता है जैसे इंग्लैंड में जारी मैग्नाकार्टा में नागरिकों के अधिकार का उल्लेख था। जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति और 20वीं शताब्दी तक आते–आते कई विश्वव्यापी सामाजिक परिवर्तन हुए जिसके अर्न्तगत बालश्रम का विरोध हुआ एवं विभिन्न देशों में महिलाओं का चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 1964 में हुए जेनेवा समझौते से अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी सिद्धान्तों को बल मिला एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की बात की गई।

मानवाधिकार के 50वीं वर्षगाँठ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री कोफी अन्नान ने मानवता की अगली पीढ़ी के लिए सन्देश में कहा ''यह मानव अधिकार की सार्वभौमिकता है जो उन्हें शक्ति प्रदान करती है। यह उन्हें सीमाओं को लांघने, दीवालों पर चढ़ने, किसी बल की अवज्ञा करने की शक्ति प्रदान करता है। सार्वभौमिक मानव अधिकारों के लिए संघर्ष सदैव और सभी–कहां सभी प्रकार की तानाशाही और अन्याय के विरूद्ध, गुलामी के विरूद्ध, उपनिवेशवाद के विरूद्ध, रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष रहा है। आज भी यह न तो किसी रूप में कम और न ही भिन्न है।

विश्व के सभी नौजवान मित्रों! यह आप ही है जो इन अधिकारो को आज और हमेशा के लिए क्रियान्वित करेंगे। उनका भाग्य और भविष्य आपके हाथों में है। मानव अधिकार आपके अधिकार हैं। उन्हें कसकर पकड़िये। उनका बचाव कीजिये। उनका संवर्धन कीजिये। उन्हें समझिये और उन पर जोर दीजिये। उन्हें पोषित कीजिये। वे हममें उत्कृष्ट हैं। उन्हें प्राण (जीवन) दीजिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी लोगों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कते लिए स्वतंत्र रूप से अपनी नैसर्गिक सम्पदा और संसाधनों का चयन करके सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए आत्म–निर्णय करने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है जो उसकी आवश्यक–आवश्यकताओं की पूर्ति का एक उपकरण है। यह अधिकार आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों की उपज है क्योंकि जब तक व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं होता तब तक वह एक सुस्कृत समाज को सुदृढ़ नहीं बना सकता।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 टी0पी0 त्रिपाठी–मानवाधिकार चतुर्थ संस्करण 2011, इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
2. डॉ एच0ओ0 अग्रवाल–मानव अधिकार तृतीय संस्करण 2005, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
3. डॉ एस0के कपूर–मानवाधिकार, पांचवा संस्करण 2011, सेन्ट्रल ला एजेन्सी, इलाहाबाद।
4. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर– सेन्ट्रल ला एजेन्सी, 2015 इलाहबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।